वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग– 3

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :– FP/CG/MIN/146694/2021

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका संबधित मुख्य वन संरक्षक ने निरीक्षण किया हैं (हां/नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रुप में संलग्न करें।

निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण दि० 02.06.23 एवं 15.06.23.
निरीक्षण नोट संलग्न है।

15. क्या संबधित मुख्य वन संरक्षक भाग (ख) मे दी गई सूचनां और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ सहमत हैं।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें ।

निरीक्षण टीप के अनुसार कार्यवाही के आधार पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :20.06.23

स्थान : जगदलपुर

हस्ताक्षर Shahid

नाम (मो. शाहिद)
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर

प्रपत्र – 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत् प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	:	दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल अंतर्गत् मेसर्स एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. लिमिटेड (NCL) रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क उत्खनन हेतु निक्षेप–4 रकबा 682.2722 हे. गैर वानिकी कार्य हेतु वन व्यपवर्तन बाबत् ।
2.	आवेदक /आवेदक विभाग का नाम	:	मेसर्स एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी.लिमिटेड (NCL) रायपुर (छ.ग.)
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	:	682.2722 हे.
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	**जिला** दंतेवाड़ा **वनमण्डल** दंतेवाड़ा **परियोजना स्थल** आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–4 बचेली (छ.ग.)
5.	वन भूमि का विस्तृत विवरण क. आरक्षित वनभूमि ख. राजस्व वन क्षेत्र ग. सीमांकित संरक्षित वन	: : : :	 670.177 हे. 12.0952 हे. ————
	घ. कुल योग	:	682.2722 हे.
6.	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	:	घनत्व 0.2 से 0.6 तक
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	:	बीजा, हन्दू, साजा, सागौन एवं मिश्रित प्रजाति कुल वृक्ष संख्या =340330 नग (व्यपवर्तन क्षेत्र में 100x100 मीटर का सेम्पल प्लाट डालकर वृक्षों की गणना की गई है)
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति	:	सामान्य
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें ।)	:	संलग्न है ।

10.	**क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिर्जव, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, बायोस्फेयर रिर्जव, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदत करें।**	:	हॉ। खनन क्षेत्र के माइनिंग लीज एरिया में गली नाला स्थित है जो कि प्राकृतिक रूप से बारह माह पानी रहता है। जिसमें अति महत्वपूर्ण विलुप्तप्राय प्रजाति ट्री–फर्न विद्यमान है।
11.	**आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित,गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एंव उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)**	:	व्यपरिवर्तित क्षेत्र लौह अयस्क उत्खनन एवं आधारभूत संरचना हेतु प्रस्तावित है। मानचित्र संलग्न है।
12.	**आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवें।**	:	नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गयी वन भूमि में **'गली नाला'** स्थित है जो प्राकृतिक रूप से बारह मासी प्रवाहित होता है। उक्त नाले के दोनों ओर जैव विविधता के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण विलुप्तप्राय प्रजाति ट्री–फर्न विद्यमान है। जिसका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। आवेदक संस्थान द्वारा उक्त क्षेत्र को व्यपवर्तन प्रस्ताव से अलग किया जाकर नाले के दोनों ओर कुल रकबा 76.496 हेक्टेयर छोड़ते हुये अप्रभावित होना बतलाया गया है।

क्षेत्र निरीक्षण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत व्यपवर्तित क्षेत्र के मानचित्र के अनुसार यह परिलक्षित हो रहा है कि, खनन क्षेत्र अधिक ऊँचाई में होने के कारण खनन के दौरान ढीली मिट्टी (Loose Soil) नाले को प्रभावित करेगी और पानी के बहाव को बाधित करेगी। खनन क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र में मिट्टी की गहराई 0.20–0.30 मीटर है जो क्षेत्र में उच्च क्षरण (High Erosion) का स्पष्ट प्रमाण है। ट्री–फर्न क्षेत्र की मिट्टी क्ले लोम (Clay Loam) है, जो कि ट्री–फर्न वनस्पति के लिये बहुत अच्छा है। पानी के जमा होने से क्षेत्र में स्थित ट्री–फर्न एवं जैव विवधिता संरक्षण के अस्तित्व को बचाने में समस्या पैदा होगी।

खनन क्षेत्र में **'गली नाला'** में स्थित ट्री—फर्न को खनन कृत्य से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना होगी। अतः विद्यमान ट्री—फर्न क्षेत्र से कितनी दूरी पर खनन एवं आधारभूत संरचना हेतु स्थल प्रस्तावित किया जाना चाहिए का, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून के विशेषज्ञों के दल से अध्ययन कराया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

इसके अतिरिक्त व्यपवर्तन प्रस्ताव में कक्ष कमांक 1826 एवं 1827 में आधारभूत संरचनाओं के तहत् कन्वेयर बेल्ट निर्माण उक्त कक्ष में स्थित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में प्रस्तावित है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में कन्वेयर हेतु प्रभावित भूमि के बदले पृथक से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त किया जाना उचित होगा।

निरीक्षण स्थल :— कक्ष क्र. 1826 एवं 1827

दिनांक :— 02.06.23 & 15.06.23

(मो.शाहिद)
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर